भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5681

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शिशु आहार उत्पादों में चीनी

†5681. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) के दिशानिर्देशों का पालन करने वाले यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में शिशु खाद्य उत्पादों में मिलाई जाने वाली चीनी की मात्रा के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफएसएसएआई द्वारा देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स (यूपीएफ) के बारे में कोई विनियामक उपाय अपनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में प्रतिबंध लगाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में शिशु आहार और फार्मूले की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में मानक निर्धारित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में शिशु खाद्य उत्पादों में शर्करा की विनिर्दिष्ट सीमाएं वैश्विक मानकों अर्थात् कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के समतुल्य हैं, जो खाद्य मानकों को निर्धारित करते समय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अनुशंसा को ध्यान में रखता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) पूरे देश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों और एफएसएसआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा पूरे वर्ष नियमित निगरानी अभियान, मानीटरिंग, विनियामक निरीक्षण किए जाते हैं और फ्रोज़न खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, खाद्य सुरक्षा और मानक

(एफएसएस) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों और उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार अपराधियों के खिलाफ जुर्माना लगाने, लाइसेंस निलंबित करने या निरस्त करने जैसी सख्त विनियामक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में लेबल पर नमक, शर्करा और वसा के संबंध में पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है,ताकि खाद्य पदार्थों का चयन करते समय उपभोक्ता सूचित विकल्प चुन सके।

*****